



**महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५**  
**अल्प मुदत निवास गृह**

**महाराष्ट्र शासन**  
**महिला व बाल विकास**  
**अल्प मुदत निवास गृह**

अधिसूचित सेवा :- आपदग्रस्त महिलांना आश्रयगृहास प्रवेश देणे

कालमर्यादा :- १ दिवस

पदनिर्देशित अधिकारी:- अल्प मुदत निवास गृह - अधिक्षिका

प्रथम अपिल अधिकारी -उपआयुक्त महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे

द्वितीय अपिल अधिकारी - साहय आयुक्त महिला व बाल विकास आयुक्तालय ,पुणे

संस्थेचा पत्ता :- **बापनू घर**, डॉ. ऍनी बसंत रोड , वरली :- ४०००१८